

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025 Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2025

संख्या:34/भू.अ./ज.स./2025/1560-1571:- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) की धारा 8(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा बाड़ी मानसरोवर मध्यम सिंचाई परियोजना, सांकेडा लघु सिंचाई परियोजना, भावलिया लघु सिंचाई परियोजना, रेन का नाका लघु सिंचाई परियोजना में सलग्न सूची अनुसार सिंचित भूमि क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ परियोजना क्षेत्र घोषित करती है:-

विवरण

बाड़ी मानसरोवर लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	बाड़ी, गटेरा, कदमाली, सगवाडिया, जमालखेड़ा, नरसिंहगढ़	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़

सांकेडा लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	सांकेडा, बिहारीपुरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
2	पेमा का खेड़ा, हाथी का गुडा, कानपुरा	बस्सी	चित्तौड़गढ़

भावलिया लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	आजोता, लक्ष्मीपुरा, श्रीनगर, हीरा जी का खेड़ा, धारेश्वर	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़

रेन का नाका लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	भुवानिया खेड़ी, लुणखंदा, पीलखेड़ी, कनेरा खास	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।